an>

Title: Need to provide pension and other facilities to the politicians arrested and jailed under Maintenance of Internal Security Act during Emergency.

श्री श्यामा चरण गुप्त (इलाहाबाद) ः सन् 1975 में देश में लोकतंत्र को समाप्त करते हुए आपात स्थिति तत्कालीन केंद्र सरकार ने लगायी थी और कांग्रेस को छोड़कर सभी राजनैतिक दलें के नेताओं को फर्जी मुकदमा मीसा व डी.आई.आर. में कायम कराकर सभी को जेल भेजा गया था। इस पूकार आजाद देश में पहली बार लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ था और आपात स्थिति पूरे 18 माह तक लगी रही और सभी दलों के नेतागण जेल में निरूद्ध रहे। बहुत से नेताओं ने इस दरम्यान तत्कालीन सरकार के इस कदम का विरोध किया था और उन्हें भी सरकार ने जेल में निरूद्ध किया। जेल में रहने वाले ऐसे तमाम सेनानियों को लोकतंत्र रक्षक व लोकतंत्र सेनानी कहा गया। कई बार गैर-कांग्रेसी सरकारों के समक्ष यह विचार लाया गया कि लोकतंत्र सेनानी जो इमरजेंसी के दौरान मीसा के अंतर्गत बंदी थे, उन्हें लोकतंत्र सेनानी मानते हुए उनके सम्मान हेतु उन्हें कुछ सुविधाएं केंद्र सरकार की ओर से पूदान की गयी परंतु अभी तक इस संदर्भ में मेरी जानकारी में कोई ठोस व सार्थक निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया है।

कृपया सरकार यह बताने का कष्ट करें कि क्या लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए उन्हें कोई सुविधा या पेंशन देने की कोई योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन है। यदि है, तो कृपया उसे बताने का कष्ट करें। यदि नहीं, तो कृपया लोकतंत्र सेनानियों के हित में इसे लेने का कष्ट करें।